पत्रिका

आदिवासी समाज की पुनर्विचार याचिका की तैयारी

हक की बात

हाईकोर्ट में पत्नी की अपील खारिज, पति के पक्ष में फैसला

बेटियों को संपत्ति में अधिकार: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बस्तर में आदिवासियों के बीच रार

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

जगदलपुर. सुप्रीम कोर्ट के बेटियों के संपत्ति में अधिकार देने के फैसले के बाद बस्तर में आदिवासी समाज दो फाड़ नजर आ रहा है। यहां सर्व आदिवासी समाज और पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत अन्य लोगों ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है और इसके खिलाफ याचिका लगाने की बात कही है। वहीं कुछ आदिवासी समाज के लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने इसका स्वागत किया है। शेष@पेज08

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। हालांकि आदिवासी समाज में कभी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होता है। समाज में भाई-बहन के बीच बहुत प्यार होता है। शादी के बाद लड़कियां खुद ही संपत्ति लेने से इंकार कर देती हैं और जिसको जरूरत है उसे भाई खुद ही संपत्ति दे देते हैं। रीति-नीति कभी इसके आड़े नहीं आती है। आवश्यकता के अनुसार लेन-देन होता है। कोर्ट ने नियम कानून के तहत फैसला सुनाया है।

-जयमति कश्यप, आदिवासी समाजसेवी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। आदिवासियों के सामाजिक कानून को सामान्य कानून के ऊपर का दर्जा संविधान में प्राप्त है। ऐसे में इसे समता और समानता के अधिकार के तहत फैसला सुनाना सही नहीं है। कोर्ट में कस्टमरी लॉ को देखते हुए सही तरीके से जिरह नहीं हो पाई और अदालत इससे कनवेंस नहीं हुई, जिसके चलते यह फैसला आया। इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की जाएगी।

-अरविंद नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री

तलाक के बाद पत्नी का दर्जा खत्म, पति की संपत्ति पर नहीं किया जा सकता दावा

राजीव द्विवेदी
patrika.com

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह विच्छेद के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार नहीं होगा। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि तलाक के बाद पत्नी का दर्जा नहीं रह जाता और इस स्थिति में पति की संपत्ति पर तलाकशुदा महिला दावा नहीं कर सकती। तलाक के बाद पति द्वारा खरीदे मकान पर तलाकशुदा पत्नी ने दावा किया था। पति ने सिविल कोर्ट में आवेदन देकर पत्नी को बेदखल करने की मांग की। सिविल कोर्ट ने आदेश दिया कि तलाकशुदा होने के बाद महिला का अपने पूर्व पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। सिविल कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा कि 31 मार्च 2014 को तलाक होने के बाद उनका विवाह उसी तारीख से भंग हो चुका है।

पति के घर पर जबरन कब्जे की कोशिश

पति ने विवाह के पहले ही वर्ष 2005 में रायगढ़ में मकान खरीद कर उसे किराये पर दिया था। तलाक के बाद पत्नी ने कुछ लोगों के साथ उक्त मकान पर कब्जा कर लिया पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रायगढ़ सिविल कोर्ट ने भी पति के पक्ष में फैसला दिया।

यह है मामला : 11 मई 2007 को रायगढ़ निवासी ने महिला ने प्रेम विवाह किया था। कुछ समय बाद वे 2010 से अलग-अलग रह रहे थे। अंतत: पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया। फैमिली कोर्ट रायगढ़ ने 31 मार्च 2014 को तलाक का आदेश जारी किया। तलाक के बाद पत्नी ने संपत्ति के अधिकार की बहाली के लिए प्रोफेशनल सिविल वाद प्रस्तुत किया। पारिवारिक न्यायालय, रायगढ़ ने इसे खारिज कर दिया।

30/07/2025 | Raipur City | Page : 5
Source : https://epaper.patrika.com/